उरेडा परियोजना कार्यालयों से मार्केट मोड के अन्तर्गत डिश टाईप सोलर कुकर की बिकी हेतु दिशा निर्देशों का विवरणः—

1. डिश टाईप सोलर कुकर हेतु वर्तमान में निर्धारित दरों रू0 5,796/— प्रति कुकर की दर पर एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान रू0 3,477.60 अनुमन्य किया जाता है। शेष धनराशि रू0 2,318.40 लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है।

2. परियोजना कार्यालयों से प्राप्त होने वाली मांग के क्रम में केन्द्रीय अनुदान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव एम0एन0आर0ई0 को प्रेषित किये जाते हैं।

3. परियोजना कार्यालयों द्वारा अनुबन्धित फर्म को कुकर्स की आपूर्ति हेतु कार्यादेश किये जाने से पूर्व लाभार्थी अंशदान की धनराशि की सुनिश्चितता की जानी आवश्यक होगी। अतः मांग से अधिक कुकर्स की आपूर्ति हेतु किसी भी दशा में कार्यादेश निर्गत न किया जाये। लाभार्थी से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन एवं धनराशि नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट से प्राप्त की जायेगी, जिसकी रसीद उरेडा कार्यालय द्वारा जारी की जायेगी।

4. लाभार्थी के स्थल पर कुकर्स की स्थापना उपरान्त संयंत्र के संचालन, रख—रखाव की पूर्ण जानकारी/प्रशिक्षण फर्म के माध्यम से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप पर आवेदन, स्थापना एवं प्रशिक्षण का प्रपत्र सम्बन्धित द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा रू0 100/— के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर सोलर कुकर के उपयोग एवं अन्य किसी को हस्तांतरित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

5. लाभार्थी के स्थल पर कुकर की स्थापना उपरान्त कम से कम एक वर्ष की अवधि हेतु संयंत्र की परफारमेन्स एवं मासिक रूप से अनुमानित बचत का विवरण प्राप्त कर एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार प्रेषित किया जाना है। इस क्रम में विवरण प्राप्त किये जाने हेतु प्रारूप संलग्न है।

6. प्रत्येक माह बिकी होने वाले कुकर्स की सूची उरेडा मुख्यालय को अगले माह की 10 तारीख तक एम0एन0आर0ई0 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अवश्य प्रेषित की जाये।

7. लक्ष्यों की पूर्ति के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर लाभार्थी सूची, लाभार्थी का नाम/पिता का नाम, पूर्ण पता, फोन न0, ई—मेल पता एवं अन्य विवरण अंकित किये जायेंगे। कुकर सहित लाभार्थी के फोटो ग्राफ्स एवं एम0एन0आर0ई0 से प्राप्त 50% अनुदान धनराशि के उपभोग का प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में 15 फरवरी, 2013 अथवा उससे पूर्व प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि माह फरवरी के अन्त में एम0एन0आर0ई0 को सूचियां, उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित करते हुए शेष 50% धनराशि की मांग प्रेषित की जा सके एवं इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि का समायोजन हो सके।

Dy. C. P. O
UREDA

D Drive/form